

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 120/2015/उदयपुर

मैसर्स सदभाव इन्जिनियरिंग लिमिटेड,  
उदयपुर

अपीलाथी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी  
घट-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित

श्री पी.डी.जावरिया

अभिभाषक

श्री डी.पी.ओझा

उप राजकीय अभिभाषक

अपलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 14.03.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 111/वैट/14-15/उदयपुर में पारित आदेश दिनांक 12.12.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 3,75,646/-को यथावत रखा है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 28.08.2014 को कर निर्धारण अधिकारी ने राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-8 पर खैरवाडा टोल नाके पर वाहन संख्या आरजे.27-जीए-5818 को चैक किया। वक्त चेकिंग वाहन में लदे माल प्लास्टिक सामान से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर दस्तावेज प्रस्तुत किये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र वैट-47 संलग्न नहीं है। परिवहनित माल प्लास्टिक सामान अधिसूचित माल की श्रेणी में होने से उसके परिवहन के समय घोषणा पत्र वैट-47 होना आज्ञापक है। वक्त चेकिंग वाहन चालक एवं माल प्रभारी श्री रामचन्द्र मेघवाल के बयान लिये गये, जिसमें उसने बताया कि कोई घोषणा पत्र या अन्य दस्तावेज ना तो पीछे छोड़कर आया है और नाही कहीं से आने शेष हैं। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (2) सपठित नियम 53(1) के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर में बताया गया कि परिवहनित माल प्लास्टिक सामान से भिन्न है तथा इस पर वैट-47 लागू नहीं होता है फिर भी क्रेता फर्म ने दिनांक 28.08.2018 को ऑनलाईन जारी वैट-47 संख्या ई 47ए 280814369878



प्रस्तुत किया। कर निर्धारण अधिकारी ने अधिसूचित माल प्लास्टिक गुड्स के आयात पर वक्त परिवहन घोषणा पत्र वैट-47 नहीं होने से अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन मानकर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्री बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी के प्रकरण में प्रतिपादित मत के प्रकाश में अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से रु. 3,75,646/-की शास्ति आरोपित करते हुए आदेश दिनांक 04.09.2014 पारित किया है। उक्त आदेश असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2014 पारित कर अपील अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखा है। अपीलाधीन आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त जांच परिवहनित माल प्लास्टिक माल से भिन्न होने के कारण उसके परिवहन के समय घोषणा पत्र वैट-47 की आवश्यकता नहीं थी फिर भी नोटिस मिलने पर व्यवहारी की ओर से ऑनलाईन जारी वैट-47 संख्या ई 47ए 280814369878 प्रस्तुत किया गया है, इसलिए घोषणा पत्र वैट-47 के अभाव में शास्ति आरोपित किया जाना अविधिक है। उनका कथन है कि यदि यह चेजेन्ज किया गया है कि वहनित माल प्लास्टिक गुड्स की श्रेणी में नहीं आता है तो जांच अधिकारी विधिक रूप से गुड्स आफ क्लासीफिकेशन पर विचार नहीं कर सकता है जबकि माल मार्गस्थ हो और अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है। उन्होंने उक्त कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डी.पी.मेटल्स के प्रकरण में पारित निर्णय का उद्धरण पेश किया। उनका कथन है कि हस्तगत प्रकरण में मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज का प्रकरण लागू नहीं होता है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त वाहन में लदा माल प्लास्टिक सामान पाया गया है, जो अधिसूचित वस्तुओं की श्रेणी आता है, जिसके परिवहन के समय घोषणा पत्र वैट-47 होना आज्ञापक है, जिसके अभाव में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की गई, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि भूल वश यदि घोषणा पत्र वैट-47 पीछे रह जाता है और नोटिस के जवाब में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो



स्वीकार योग्य है किन्तु हस्तगत प्रकरण में चेकिंग तिथि तक घोषणा पत्र वैट-47 अस्तित्व में नहीं था इसलिए हस्तगत प्रकरण में डी पी मेटल के प्रकरण में पारित निर्णय लागू न होकर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज में पारित निर्णय लागू होता है और उसी के प्रकाश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किया गया है, जो पूर्णतः विधिक है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का समग्र रूप से विश्लेषण करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखा है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वक्त जांच परिवहन माल प्लास्टिक गुड्स होने के कारण उसके साथ घोषणा पत्र वैट-47 होना आज्ञापक था, जिसके न होने के कारण कर निर्धारण अधिकार द्वारा नोटिस जारी करने पर बताया गया है कि वक्तजांच पाया गया माल प्लास्टिक सामान की श्रेणी में नहीं आता है इसलिए उसके परिवहन के समय घोषणा पत्र वैट-47 की बाध्यता नहीं है फिर भी ऑन लाईन जारी घोषणा पत्र वैट-47 क्रमांक ई47ए 280814369878 दिनांक 28.08.2014 प्रस्तुत किया है, जिसको अमान्य करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रु. 3,75,646/-आरोपित की है।

वक्त चेकिंग घोषणा पत्र वैट-47 के सम्बन्ध में वाहन चालक से पूछने पर उसने अपने बयानों में बताया है कि "आपके द्वारा घोषणा पत्र वैट-47 के बारे में पूछे जाने पर बयान करता हूँ कि मुझे ट्रांसपोर्टर या किसी भी व्यक्ति ने घोषणा पत्र वैट-47 कहीं भी किसी भी स्थान से नहीं दिया है तथा नहीं मुझे इस बारे में कोई जानकारी है।"

उक्त बयानों से स्पष्ट है कि माल भेजते समय वाहन चालक/माल प्रभारी को वैट-47 नहीं दिया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किये जाने पर नोटिस के जवाब में ऑन लाईन जारी घोषणा पत्र वैट-47 क्रमांक ई47ए 280814369878 दिनांक 28.08.2014 को किया गया प्रस्तुत किया है, जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि माल चेकिंग समय पर घोषणा पत्र वैट-47 अस्तित्व में नहीं था, इसलिए हस्तगत प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डी.पी.मेटल के प्रकरण में पारित निर्णय लागू नहीं होता है क्योंकि उक्त प्रकरण में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी कारण वश या भूलवश जारी किया गया घोषणा पत्र वैट-47 छूट जाता है यह गलती से ट्रांसपोर्टर के पास रह जाता है अर्थात् माल रवाना करते



समय घोषणा पत्र अस्तित्व में हो, तो नोटिस के जवाब में प्रस्तुत किया जाने पर शास्ति आरोपणीय नहीं है। किन्तु हस्तगत प्रकरण में घोषणा पत्र वैट-47 क्रमांक ई47ए 280814369878 दिनांक 28.08.2014 को ऑन जनरेट किया गया यानी माल रवाना करते समय घोषणा पत्र अस्तित्व में नहीं था इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के प्रकरण में प्रतिपादित मत के अनुसार शास्ति आकर्षित होती है। कर निर्धारण अधिकारी ने इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए शास्ति आरोपित की है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा जिसकी पुष्टि भी की गई है, जो पूर्णतः उचित है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश विधिक होने से उसकी पुष्टि करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

( श्री मदन लाल मालवीय )  
सदस्य